न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 83 /2024 प्रार्थनापत्र

01. सीताराम पुत्र श्री गोकल कुमावत आयु बालिग निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— प्रार्थी

बनाम

01. भैरू लाल पुत्र श्री चौथू कुमावत आयु बालिग निवासी– चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

01. श्री मुकेश सिह तंवर –अधिवक्ता प्रार्थी

02. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

दिनांक– 03.02.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे वर्तमान खाता संख्या 3229/1084 कुल किता 01 रकबा 0. 5059 हैक्टयर जो राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 3230/1084, 3231/1084 भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01/03/2023 को पटवार हल्का चिलेश्वर से राजस्व नक्शे की नकल प्राप्त की व ऑनलाईन नक्शे की नकल भी प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी मे आया कि पटवार हल्का चिलेश्वर के यहां मौजूदा नक्शा शीट अनुसार उक्त आराजियात को वर्तमान ऑनलाईन नक्शे मे अन्य जगह तरमीम कर रखी है, जो गलत है व प्रार्थी का मौके पर कब्जा भी आंवटन आदेश व सिपुर्दगीनामे के अनुसार आराजी नम्बर 3229/1084 मे ही है, उसी अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसे नक्शा शीट के अनुसार ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम को दुरूस्त कराकर पटवार हल्का चिलेश्वर को नक्शा शीट अनुसार आराजी नम्बर 3229/1084 को दुरूस्त कर ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम शुद्वि की जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम होने की जानकारी होने पर विपक्षी को पटवार हल्का चिलेश्वर के राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया, जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करने के आदेश लाने हेतु कहा। गलत तरमीम को दुरूस्त कर कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया गया, जिस हेतु विपक्षी संख्या 01 द्वारा भी पटवार हल्का द्वारा मोका रिपोर्ट अनुसार सहमति दी है।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित आंवटित आराजी का मूल रकबा बड़ा होने व आंवटन कब्जा अनुसार मौके पर कब्जा दिया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है एवं आंवटन कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम नही किया जाना मौका रिपोर्ट से प्रतीत होता है। अतः पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थी की भूमि नक्शे मे सही तरमीम नही होने से पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे व संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारो के हितो पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 3229/1084 रकबा 0.5059 हैक्टयर को मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वर्णित तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)